



आठ साल, बड़े कमाल

सबको न्याय, सुलभ न्याय



भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

के तहत
नया प्राविधान



आनलाईन
एफआईआर
(जोरो एक जॉर्जर)

सबसे अपराध के घटित होने की सूचना राज्य में किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी जा सकती है, चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो या नहीं।

सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है

भारतीय न्याय संहिता 2023

के तहत
नये अपराध



शोपीलिफिंग के रैंग को Petty जर्मान्ड अपराध के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। दुकान, मॉल इत्यादि में जान बूझकर भ्रगलान किए प्रवेश सामान ले जाने के लिए अब कड़ी सजा है। (धारा 112)

भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के अंतर्गत

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही की सुविधा

- गवाह/साक्षीगण इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने जनपद के संयुक्त निदेशक, अभियोजन से संपर्क करें
- परीक्षण के दौरान किसी गवाह के सक्ष्य को निर्दिष्ट स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-254 एवं 265)

- इसके अनुपालन में अभियोजन विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही के लाभ

- गवाहों के समय एवं धन की बचत
- त्वरित न्याय दिलाने में मदद
- विशेष रूप से सेवानिवृत्त/कार्यरत सरकारी गवाहों की यात्रा के दौरान व्यक्तिगत असुविधाओं में कमी

WOMEN
SAFETY

WOMEN SAFETY IN
NEW CRIMINAL LAWS

E-FIR
FACILITIES FOR
WOMEN TO FILE
ONLINE FIR



STATEMENT OF
ASSAULT VICTIM TO BE
VIDEO RECORDED IN
PRESENCE OF FAMILY
MEMBERS

DEATH PENALTY FOR
RAPE OF MINOR AND
LIFE IMPRISONMENT
FOR GANG RAPE

भारतीय न्याय
संहिता 2023
के तहत
नये अपराध

मॉब लिलिंग



यदि 5 या अधिक लोगों की पीड़ितता किसी व्यक्ति की दुष्का, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या धार्मिक से हो सकती है, तो इस वीडियो के तहत सजा की सुलभता या उच्चतम की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। यदि पीड़ित द्वारा इन धारणाओं के किसी व्यक्ति को गम्भीर घोट पहुंचाने के तो पीड़ित के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

DIGITAL
INDIA

DIGITISATION IN
NEW CRIMINAL LAWS

FIR TO
JUDGEMENT -
EVERYTHING
WILL BE
DIGITISED



DIGITAL RECORDS
WILL BE
CONSIDERED AS
DOCUMENTARY
EVIDENCE

POLICE SEARCH
AND SEIZURE TO
BE VIDEOGRAPHED

भारतीय न्याय
संहिता 2023
के तहत
नये अपराध

स्नैक और डैन
स्नैकिंग गैंग



- स्नैकिंग (डैन स्नैकिंग, सोपदायक स्नैकिंग इत्यादि) में नए 8444 कायदा की धारा 304 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है।
- यदि स्नैकर किसी गैंग का सदस्य है, तो धारा 112 के तहत कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की सजा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता 2023

के तहत
नये अपराध

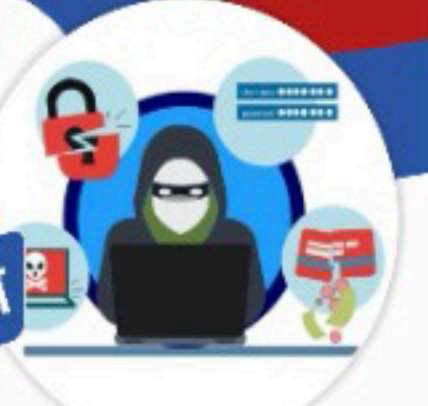


- अपराध
- अपराध
- अपराध
- अपराध
- अपराध
- अपराध
- अपराध
- अपराध

भारतीय न्याय
संहिता 2023

के तहत
नये अपराध

साइबर क्राइम



[Cyber Crimes (Phishing, Vishing, Hacking इत्यादि)] संगठित अपराधों में शामिल अपराधी एवं उनके सहयोगियों को कम से कम 5 साल की कैद और अधिकतम उसकैद (Life Imprisonment) एवं साथ ही कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना। (धारा 111)

अभियोजन निदेशालय
उत्तर प्रदेश